निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 69) पटना, वृहस्पतिवार, 21 जनवरी 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

————————

अधिसूचना

9 अक्तूबर 2015

सं0 9/आरोप (राज0 उ0)–2–04/2012–4526––श्री केदार प्रसाद, तत्कालीन उपायुक्त उत्पाद (आ0भा0) बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध CWJC NO–2101/2000 बिहार राज्य बनाम सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेज में दिनांक 02.12.2010 को पारित न्यायादेश के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में SLP दायर करने में अकारण अप्रत्याशित विलम्ब कर राजस्व विषयक न्यायिक आदेश के पालन में शिथिलता बरतने एवं इसके फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग की छवि धूमिल होने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1751 दिनांक 29.04.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 में 43 (B) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञापांक–315 दिनांक 27.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है, जिसमे दोनों आरोपों को प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3724 दिनांक 12.08.2015 द्वारा श्री केदार प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं आपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी।

4. श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 12.08.2015 को ही विभाग में एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिससे यह कहा गया था कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी

तथ्यों की समीक्षा की गयी थी अथवा नही और उनके द्वारा मुखर आदेश भी अभिलिखित नही किए जाने की बात अभ्यावेदन में कही गयी।

पुनः दिनांक 21.08.2015 को श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय बचाव बयान के संबंध में विभाग मे एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा दिनांक 12.08.2015 के अभ्यावेदन पर सम्यक निस्तार की अपेक्षा की गई एवं एक माह के समय की माँग की गई। परन्तु, यह पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित तथ्यों और लिखित अभिकथन तथा विभागीय मंतव्य के समीक्षोपरान्त ही संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित पाया गया। अतएव उक्त के आलोक में उनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. अतः पूर्ण विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–139 (बी0) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध उनके पेंशन से 15% (पन्द्रह) प्रतिशत कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 69-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in